कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2019 / 10–11 / 6 / 479 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला दतिया एवं जिला ग्वालियर के अन्तर्गत मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु 1248.821 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र–2 डबरा जिला ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-28/2021-FC दि. 31.12.2021

––00––

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण मे चाही गई अतिरिक्त xvi बिन्दुओं जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त कर बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्रं.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
i	As per DSS analysis, the area of Forest land proposed for diversion is 1246.638 ha instead of 1248.821 ha. The correct KML file of 1248.821 ha forest land therefore needs submission.	इस संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि सभी KML फाईल का अलग–अलग रकबा निकालने पर प्रभावित रकबा 1248.821 हेक्टेयर आता है। इस संबंध में अनुरोध है कि आवेदक संस्था द्वारा जो KML फाईल प्रस्ताव में अपलोड की गई है, उसी अनुसार ही आवेदक संस्था को प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वनभूमि हस्तांतरित की जायेगी।
ii	As per the satellite imagery, the proposed forest area in Forest Compt. No 31, 23,24,25,29 &14 of Range Seondha under Datia district and Forest compt. No.137 & 138, Range: Benhat under Gwalior district is having very dense tree cover, whereas the density reported by State Govt. is 0.3 only. in view of the above, the density of forest land proposed for diversion shall be re-examined.	इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्वालियर वनमण्डल में प्रस्तावित वनभूमि का घनत्व 0.2 से 0.3 तथा दतिया वनमण्डल में घनत्व 0.2 से 0.5 तक है। इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि का रकबा 100 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण क्षेत्र का स्थल निरीक्षण आपके द्वारा भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों से करवाया जायेगा। स्थल निरीक्षण के दौरान इन कक्षों का अवलोकन भी करवा दिया जावेगा।

–2–

iii	The number of trees at FRL-2 meters have been mentioned as Nill, whereas the FRL is within the areas of dense tree cover as per the kml files submitted. The correct enumeration detail of the trees may therefore be submitted. The details regarding the local and scientific names of the trees have also not been mentioned in the Part-II which shall be done.	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं। अतः वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य प्रजाति का उल्लेख किया है। प्रस्ताव में FRL-4 के वृक्षों की संख्या अंकित की गई है। आवेदक संस्था द्वारा FRL-2 का सीमांकन न करने के कारण यह गणना नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तो में सामान्यतः FRL-4 के लेवल के वृक्ष विदोहन की शर्त अधिरोपित की जाती है। अतः FRL-2 के वृक्षों की गणना करने से छूट दिये जाने का अनुरोध है।
iv	The total area within the proposed submergence zone at Full Reservoir Level is 3149.648 ha. The complete KML file of said submergence area shall be uploaded/submitted.	आवेदक संस्था ने प्रस्ताव में डूब में आने वाली वनक्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र की 3149.648 हेक्टेयर की KML फाईल प्रस्ताव के भाग–1 में ग्वालियर वनमण्डल के भाग में बिन्दु क्रमांक–ii (a) के अनुक्रमांक–4 में 0 हेक्टेयर की KML फाईल में अपलोड कर दी है।
v	It has been observed that some of the CA patches proposed in the villages namely Sankri, Sikata, Bilaw & Bhonpura (Patch-1, Area: 5.844 ha.) under Bhind District aea partially within the Protected Forests (PF). The same can not be accepted for CA.	आवेदक संस्था ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये 5.844 हेक्टेयर के इस टुकडे की KML फाईल हटा दी है। इसके स्थान पर शिवपुरी जिले में प्राप्त 40.7 हेक्टेयर की KML फाईल अपलोड कर दी गई है।
vi	It is also observed that one proposed CA patch in Village namely Nunhata (Patch-1, Area: 2.689 ha) is less than 5 ha in area and isolated as well. The same can not be accepted for CA.	आवेदक संस्था ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये 2.689 हेक्टेयर के इस टुकडे की KML फाईल हटा दी है। इसके स्थान पर शिवपुरी जिले में प्राप्त 40.7 हेक्टेयर की KML फाईल अपलोड कर दी गई है।
vii	The CA patch proposed in Village Dongapur (20.618ha), Datia district appeas to be under the submergence zone of instant project. The area within the submergence zone can not be accepted for CA.	आवेदक संस्था ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये 20.618 हेक्टेयर के इस टुकडे की KML फाईल हटा दी है। इसके स्थान पर शिवपुरी जिले में प्राप्त 40.7 हेक्टेयर की KML फाईल अपलोड कर दी गई है।

viii	The Detailed scheme for compensatory afforestation has not been submitted.	प्रस्ताव में भिण्ड जिले में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये दी गई गैर वनभूमि पर 250 से 300 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित किये जा सकते हैं। अतः भारत सरकार से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। गैर वनभूमि पर 1000 पौधें प्रति हेक्टेयर की दर से जितने कम पौधें रोपित किये जायेगे, उसी अनुसार शेष पौधें बिगडे वनों में रोपित किये जायेगे। गैर वनभूमि तथा बिगड़े वनों में वनीकरण की योजना भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत तैयार की जायेगी।
ix	It has been mentioned by the DFO that the 626.06 ha allotted for CA is not according to point no. 7 of the guidelines of MP Forest Department dated 31.07.2020, The state Govt. may provide details in this regard.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये दी गई गैरवनभूमि बीहड़ (ravine) क्षेत्र होने के कारण इस पर प्रति हेक्टेयर 1000 पौधे रोपित किये जाना सम्भव नहीं होने के कारण वनमण्डलाधिकारी द्वारा यह टीप दी गई है। तत्पश्चात राज्य शासन के निर्देश पर गठित वरिष्ठ अधिकारियों के दल द्वारा इस गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण करने की अनुशंसा करने के कारण प्राप्त गैर वनभूमि को मान्य करते हुये प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
x	The copy of approved catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted.	आवेदक संस्था ने जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड कर दी है। इस उपचार योजना की तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.02.2022 से जारी की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
xi	The state govt. shall re-examine the site specificity of the proposal and submit detailed report along with justification as to why the project can not be executed in non-forest area.	आवेदक संस्था ने इस संबंध में अन्य विकल्पों को प्रस्ताव के भाग–1 में बिन्दु (D) में अपलोड कर दिया है।

xii	DFO Datia and DFO Gwalior in their report have mentioned that the user agency need to compensate for the rehabilitation and resettlement for the villagers in various villages. However, the State Govt. has reported that the project does not involve R&R. In view of above the copy of approved R&R plan may be submitted.	इस प्रस्ताव में वन भूमि से किसी परिवार का विस्थापन नहीं होना है। प्रस्ताव में प्रभावित राजस्व भूमि से कुछ परिवारों का विस्थापन होना है। आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इस परियोजना में 05 गावों के 673 परिवारों का विस्थापन होना है। विस्थापन हेतु गैर वनभूमि का चयन हो चुका है तथा यह भूमि शीघ्र ही कलेक्टर, दतिया द्वारा आवेदक संस्था को आवंटित कर दी जावेगी। R & R प्लान शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
xiii	In case of rehabilitation of people, necessary correction in the Cost-Benefit Analysis is required to be made.	संशोधित एनालिसिस भाग–1 में अपलोड कर दिया गया है।
xiv	High resolution satellite imagery shows the presence of agricultural land within the forest area proposed for diversion which needs clarification.	प्रस्तावित वनभूमि पर कुछ अतिक्रमण है। इन अतिक्रमणों को नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये रिक्त कराया जायेगा।
xv	As per online Part-II on PARIVESH portal, Wolf, Wild bear and other wild animals such as Hyna, Chital, Nilgai, wild pig etc. are reported in the forest land proposed for diversion under Datia District and Blue Bull, Jackal, chinkarka, rabbet, crocodile etc. are reported under Gwalior district. Since many of the animals as reported are listed in Schedules under Wildlife Protection Act, 1972., therefore the comments of Chief Wildlife Warden in this regard needs submission.	प्रस्तावित वनक्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य या कॉरीडोर का क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणियों का उल्लेख किया है। अतः प्रकरण में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अभिमत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यदि भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की जाती है तो तदानुसार मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत प्राप्त कर लिया जायेगा।
xvi	The CCF of the area has not found the CA land fit for plantation, however Nodal Officer in his letter has mentioned about recommending the proposal based on a team constituted by the State Govt. which has found the land fit for raising CA plantation. In this regard the details of the team constituted, the orders of the State Government in this regard and the TOR given to the team shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये दी गई गैरवनभूमि बीहड़ (ravine) क्षेत्र होने के कारण इस पर प्रति हेक्टेयर 1000 पौधे रोपित किये जाना सम्भव नहीं होने के कारण मुख्य वन संरक्षक द्वारा यह टीप दी गई है। मुरैना वनमण्डल में विगत वर्षों में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आवेदक संस्था द्वारा बीहड़ (ravine) क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। इन गैरवनभूमि पर किये गये वृक्षारोपण सफल रहे

		हैं। इस गैर वनभूमि पर 250 से 300 पौधे प्रति हेक्टेयर पौधे रोपित किये गये हैं तथा कंटूर ट्रैंच, कंटूर बण्ड तथा चैक डेम निर्मित कर उन पर बीज रोपण से भी काफी संख्या में वृक्ष तैयार किये गये हैं। इस संबंध में दिनांक 27.09.2021 को राज्य शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में बीहड़ (ravine) क्षेत्र में गत वर्षों में किये गये रोपण का निरीक्षण कर अपना अभिमत देने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारियों का दल गठित कर प्रतिवेदन देने का निर्णय लिया गया। तदानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 05.10.2021 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों का दल गठित किया गया। इस दल के गठन का आदेश की प्रति संलग्न है। इस दल द्वारा दिनांक 12.10.2021 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति द्वारा प्राप्त गैर वनभूमि को रोपण योग्य होने तथा 200 से 300 पौधें रोपित करने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में बीज रोपण के माध्यम से भी पौधें तैयार करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। समिति की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। समिति की रिपोर्ट से सहमत होते हुये राज्य शासन द्वारा प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को वनीकरण के लिये लिया जाना मान्य किया है।

अतः उपरोक्त जानकारी संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्वांति स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

04/02/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 50 / 2019 / 10–11 / 6 / 480 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दतिया, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, भिण्ड, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.–2 डबरा, जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

04/02/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./एफ–3/50/2019/10–11/6/ 07 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–3/2019/10–11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य के परीक्षण उपरांत तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	योजना का नाम	उपचार भूमि हेतु रकबा (वर्ग कि.मी. में)	राशि (लाख मे)
दतिया एवं ग्वालियर	मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना (1248.821 हेक्ट.)	12739.00	2050.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.–2 डबरा, जिला–ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
2. वनमण्डलाधिकारी, दतिया एवं वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
8. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

4/2/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

–2–

पृ. क्रं./एफ–3/50/2019/10–11/6/461 भोपाल, दिनांक 04/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, दतिया, मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
6. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.–2 डबरा, जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश द्वारा श्री सुनील अग्रवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध) प्रथम मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

आदेश कमांक/भू–प्रबंध/सिचाई/44 भोपाल, दिनांक 05/10/2021

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा मां रतनगढ़ परियोजना में प्रभावित 1248 हे. वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि भिण्ड जिले में उपलब्ध कराई गई है । यह गैर वनभूमि बीहड़ की है।

गैर वन भूमि बीहड़ की होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है। पूर्व में मुरैना वन मंडल में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए बीहड़ के स्वरूप के गैर वनभूमि में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया गया है। इसमें रोपण सफल है।

दिनांक 27.09.2021 को प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दल मुरैना वन मंडल में जाकर बीहड़ में किये गये क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख से अनुमोदन उपरांत निम्न दल गठित किया जाता है।

1. श्री अमिताभ अग्निहोत्री, संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर
2. श्री एस.पी. शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल।
3. श्री शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर।

उपरोक्त दल 10 दिवस में निरीक्षण कर बीहड़ क्षेत्रों में रोपण करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

05/10/2021
(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल।

पृ0कमांक/भू–प्रबंध/सिंचाई/3340 भोपाल, दिनांक 05/10/2021

1. श्री अमिताभ अग्निहोत्री, संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर
2. श्री एस.पी. शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल
3. श्री शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर
4. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख भोपाल

ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05/10/2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल।

S/C

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक / व0नि0स0 / 2046 भोपाल / दिनांक 12/10/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषयः– भिण्ड एवं मुरैना जिलों में बीहड़ क्षेत्र की गैर वन–भूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण की उपयुक्तता की समीक्षा ।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का आदोश क्रमांक भू–प्रबंध / सिंचाई 44 दिनांक 05.10.2021

––0––

दिनांक 27.09.2021 को प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णयानुसार संदर्भित आदेश के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल व्दारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल गठित किया जाकर मुरैना वन मण्डल में जाकर बीहड़ में किए गए क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट चाही गई है । गठित दल में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी सम्मिलित किया गया है ।

उपरोक्त उद्देश्य से दल व्दारा दिनांक 08.10.2021 को क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर, वांछित रिपोर्ट मय स्थल के छाया चित्रों के अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

12/X/2021

(एस0पी0शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल ।

पृ0क0 / व0नि0स0 / भोपाल / दिनांक

प्रतिलिपिः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)मध्यप्रदेश भोपाल को सूचनार्थ ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल ।

-174-

निरीक्षण प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा मां रतनगढ़ परियोजना में प्रभावित 1248 है0 वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि भिण्ड जिले में उपलब्ध कराई गई है। यह गैर वनभूमि बीहड़ की है। गैर वनभूमि बीहड़ की होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित नहीं है।

दिनांक 27.09.2021 को प्रमुख सचिव वन के अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दल मुरैना वनमण्डल में जाकर बीहड़ में किये गये क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पूर्व में मुरैना वनमण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए बीहड़ के स्वरूप के गैर वनभूमि में (प्राप्त जानकारी अनुसार) वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य किया गया है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश के आदेश कमांक/भू–प्रबंध/सिंचाई/44 दिनांक 05.10.2021 से निम्नानुसार दल का गठन किया गया :–

1. श्री अमिताभ अग्निहोत्री, संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर
2. श्री एस0पी0 शर्मा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल
3. श्री शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

उपरोक्त आदेश के पालन में निर्देशानुसार निरीक्षण दल के द्वारा दिनांक 08.10.2021 को मुरैना वनमण्डल के अन्तर्गत कक्ष कमांक पी. 333 एवं 334 में कमशः 65 है0 एवं 22 है0 क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य बीहड़ क्षेत्रों में रोपण की उपयुक्तता के संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

निरीक्षण हेतु की गई कार्यवाही :–

निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई :–

1. मुरैना वनमण्डल कार्यालय में पहुंचकर निरीक्षण हेतु प्रस्तावित कक्ष कमांक पी. 333 तथा पी. 334 में वृक्षारोपण से संबंधित समस्त अभिलेख जैसे परियोजना रिपोर्ट, वृक्षारोपण जर्नल तथा पूर्व में किये गये मूल्यांकन रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। इसके उपरांत मौके पर जाकर दोनों वृक्षारोपणों का निरीक्षण किया गया।

   वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार अवगत कराई गई :–

   वैकल्पिक वृक्षारोपण खैरा डिगवार रकवा 65 है0 वन परिक्षेत्र सबलगढ़ वनमण्डल मुरैना

1.	परिक्षेत्र का नाम	–	सबलगढ़
2.	परिक्षेत्र सहायक	–	रामपहाड़ी
3.	बीट	–	पचेर कमांक 01
4.	समिति	–	डिगवार
5.	खसरा कमांक	–	10
6.	कक्ष कमांक	–	पी. 333
7.	क्षेत्रफल	–	65 है0
8.	वृक्षारोपण का प्रकार	–	वैकल्पिक वृक्षारोपण
9.	वृक्षारोपण वर्ष	–	2011–12
10.	स्थल तैयारी का विवरण		

सरल कमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा है0 में	व्यय राशि
1	सर्वेक्षण सीमांकन	65.00	1219.00
2	चेकडेम	56500 घ.मी.	2157376.00
3	कन्टूर ट्रन्च	4850 र.मी.	340798.00
4	सी.पी.टी.	2450 र.मी.	137816.00
5	सी.सी.टी.	2000 र.मी.	12500.00
6	क्षेत्र सफाई एवं अन्य		29011.00
	योग		**2678720.00**

11. रोपित पौधे :–

प्रजाति	संख्या
शीशम	2700
सिरस	2000
करंज	1500
जलेबी	3000
नीम	800
बांस	3000
सुबबूल	2000
सागौन	5000
योग	**20000**

वृक्षारोपण की सीमा से लगी कृषकों की मेड़ों पर जो मेड बंधान कार्य विभाग द्वारा आस्थामूलक मद से कराया गया था उन पर भी कृषकों द्वारा स्वयं बांस, खमैर, आंवला प्रजाति के पौधों का रोपण कराया गया है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण खेरा डिगवार रकवा 22 हैक्टेयर

1. परिक्षेत्र का नाम : सबलगढ़
2. परिक्षेत्र सहायक वृत्त : रामपहाड़ी
3. बीट का नाम : पचेर नं. 01
4. समिति का नाम : डिगवार
5. खसरा कमांक : 10
6. कक्ष कमांक : पी 334
7. क्षेत्रफल : 22 हैक्टेयर
8. वृक्षारोपण का प्रकार : वैकल्पिक वृक्षारोपण
9. वृक्षारोपण वर्ष : 2011–12
10. स्थल तैयारी वर्ष : 2010–11

स.कं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा है. में	व्यय राशि
1	सर्वेक्षण सीमांकन	22.00 है.	412.00
2	चेकडेम	10846.172 घ.मी.	333516.00
3	कन्टूर ट्रन्च	8100 र.मी.	50624.00
4	रिंग बन्डिग	3855 र.मी.	28797.00
5	क्षेत्र सफाई एवं अन्य		13454.00
	योग		**426803.00**

11. रोपित पौधे :–

प्रजाति	संख्या
शीशम	2300
सिरस	1000
करंज	500
ज.जलेबी	2000
नीम	200
बांस	1000
सुबबूल	1000
सागौन	2000
योग	**10000**

वृक्षारोपण की सीमा से लगी कृषकों की मेंडो पर जो मेड़ बंधान कार्य विभाग द्वारा आस्थामूलक मद से कराया गया था उस पर कृषकों द्वारा स्वयं बांस, खमैर, आंवला प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य कराया गया है।

यह दोनों रोपण जुलाई 2011 में किये गये हैं।

प्रचलित कार्य आयोजना मुरैना में बीहड़ी क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख है :–

वनमण्डल मुरैना के अंतर्गत चम्बल, कुंआरी, सोन तथा सांख नदियां हैं जिनके दोनों किनारों पर मिट्टी के कटाव के कारण बीहड़ क्षेत्र निर्मित हो गये हैं। प्रचलित कार्य आयोजना में बीहड़ क्षेत्रों को मृदा एवं जल संरक्षण प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत उपचार हेतु सम्मिलित किया गया है । बीहड़ी क्षेत्रों में निम्न संनिधि युक्त मिश्रित प्रजाति के वन हैं, जिनकी स्थल गुणवत्ता श्रेणी पंचम ब है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से छेंकुर, घोंट, हींस, बिरबिरा, हिंगोट, करील, गुग्गल, पीलू कांकेर, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, बबूल तथा बिखरे रूप में खैर है। बीहड़ी क्षेत्रों की भू–समाकृति ऊबड़–खाबड़, गहरी खाई युक्त तथा तीव्र ढाल वाली है। भू–क्षरण अत्यधिक है तथा मृदा जलोढ़ है। अत्यधिक कटाव के कारण पुनरूत्पादन की स्थिति बहुत ही खराब है। तीव्र ढाल पर जल प्रवाह तथा हवा के कारण बीज बह जाते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता कम होने के कारण मृदा में नमी अपर्याप्त है। कार्य आयोजना में बीहड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु विभिन्न उपचार पद्धति भी दर्शाई गई हैं।

अभिलेखों के अध्ययन उपरांत वनमण्डलाधिकारी मुरैना तथा उनके संबंधित कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण क्षेत्रों का क्षेत्र निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण क्षेत्र के निरीक्षण के साथ ही बीहड़ के अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया।

<u>निरीक्षण के निष्कर्ष</u> :–

1. यह वृक्षारोपण क्षेत्र बीहड़ में स्थित है जहां भू–क्षरण अत्यधिक सक्रिय हैं, तथा भू–क्षरण निर्बाध गति से होता रहता है।

2. वृक्षारोपण के साथ–साथ क्षेत्र में नाला बंधान का कार्य मिट्टी के बड़े चैकडैम द्वारा किया गया है। चैक डैम इस प्रकार बनाये गये हैं कि ऊपरी चौड़ाई 4 से 5 मीटर है। यह संरचनाएं भू–क्षरण को फिलहाल बाधित करने में सफल हैं, परन्तु उनका नियमित रखरखाव करना आवश्यक है।
3. क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का रोपण उपयुक्त ढलानों पर किया गया है। इनमें से कुछ प्रजातियां, विशेष तौर पर काला सिरस, नीम, करंज अपेक्षाकृत अधिक सफल हैं जो, मध्य साईज के वृक्षों का आकार ले चुकी हैं।
4. क्षेत्र में विभिन्न बीजों का छिड़काव कर वनीकरण का प्रयास किया गया है, जिसमें शाकीय एवं झाड़ी प्रजातियां भलीभांति स्थापित होकर भू–क्षरण की तीव्रता को रोकने में सहायक सिद्ध हो रही है। इन प्रजातियो में prosopis juliflora सुगमता से स्थापित हो रहा है। क्षेत्र में शमी (prosopis Cineraria) की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

इस प्रकार वर्ष 2011 में किया गया यह प्रयास सफलतापूर्वक त्रि–स्तरीय वनीकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर सका है, जिसे भविष्य में भी दोहराया जा सकता है।

निरीक्षण के निष्कर्ष एवं सुझाव :–

1. बीहड़ स्वयं में एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित एक अद्भुत प्राकृतिक देन है। बिना किसी वैज्ञानिकी अध्ययन के उपरोक्त पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बीहड़ों में उनके संरक्षण के कार्य किये जाना प्रस्तावित हैं, न कि उनके स्वरूप को बदलना।
2. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु यदि अन्य समतल भूमि (गैर-बीहड़ भूमि) उपलब्ध न हो तो बीहड़ क्षेत्रों में वनीकरण का कार्य किया जा सकता है।
3. वनीकरण कार्य करने से पूर्व क्षेत्र का एक सुनियोजित क्षेत्र उपचार प्लान तैयार किया जाये, जिसमें Systematic एवं व्यवस्थित रूप से नाला बंधान का कार्य किया जाये। यह नाला बंधान कार्य जलागम (Watershed) क्षेत्र के उपचार की आवश्यकता Ridge to Valley के आधार पर किया जाये। बीहड़ों के संरक्षण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक है अन्यथा रोपण सफल होना कठिन है।
4. तत्पश्चात क्षेत्र में बीज छिड़काव के माध्यम से शाकीय एवं झाड़ी प्रजाति के वृक्षों की स्थापना कार्य किया जाये।
5. तदोपरांत रोपण योग्य ढलानों पर उपयुक्त प्रजातियों का रोपण कार्य किया जाये। बीहड़ में प्रति हैक्टेयर 200 से 300 पौधे ही रोपित किये जा सकते हैं।
6. बांस का रोपण की अपेक्षित सफलता क्षेत्र में नहीं पाई गई है।
7. वृक्षारोपण क्षेत्रों को बंद कूप के समान संरक्षित किया जाये, तथा यह कार्य ग्राम वन समिति के सहयोग से किया जाये।
8. सीधी रेखाओं के माध्यम से कक्ष की सीमाओं का निर्धारण एक दुष्कर एवं अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है। अतः कक्ष की सीमाएं Ridge Lines पर हों, तो उचित होगा।
9. इस प्रकार बीहड़ क्षेत्र में वनीकरण कार्य भू–क्षरण रोकने, जैव विविधता को संरक्षित करने तथा REDD + के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाना उपयुक्त है।

9.10.21

(शशि मलिक)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

9/X/2021

(एस.पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कक्ष–उत्पादन
सतपुड़ा भवन भोपाल

9/X/2021

(अमिताभ अग्निहोत्री)
संचालक
राज्य वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर

रोपित पौधों की प्रजातिवार संख्या
योग... 10000
वन मण्डल मुरैना

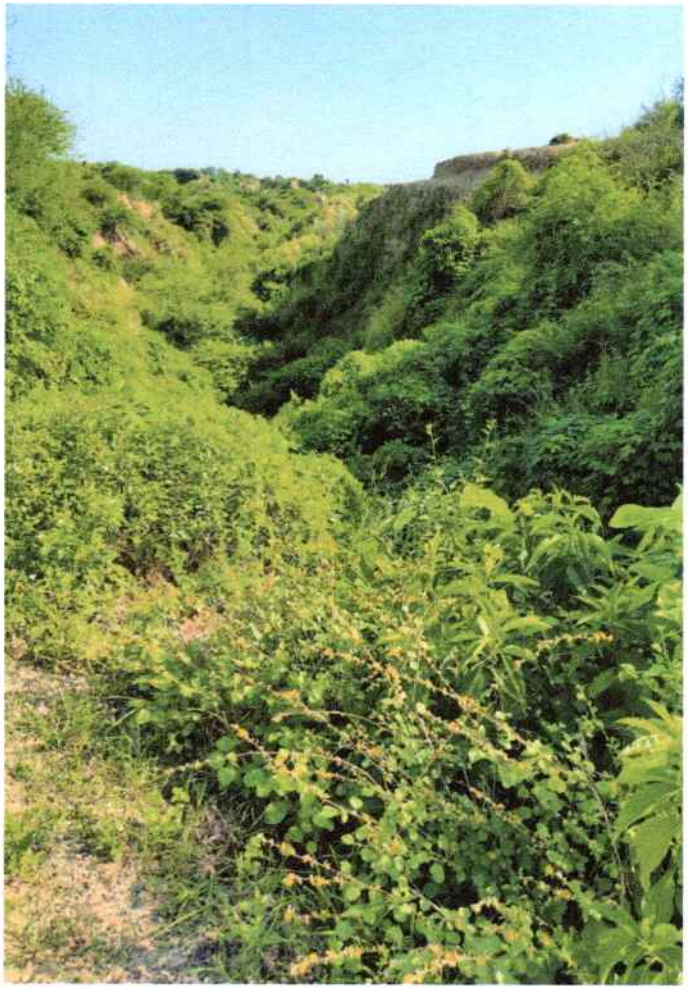

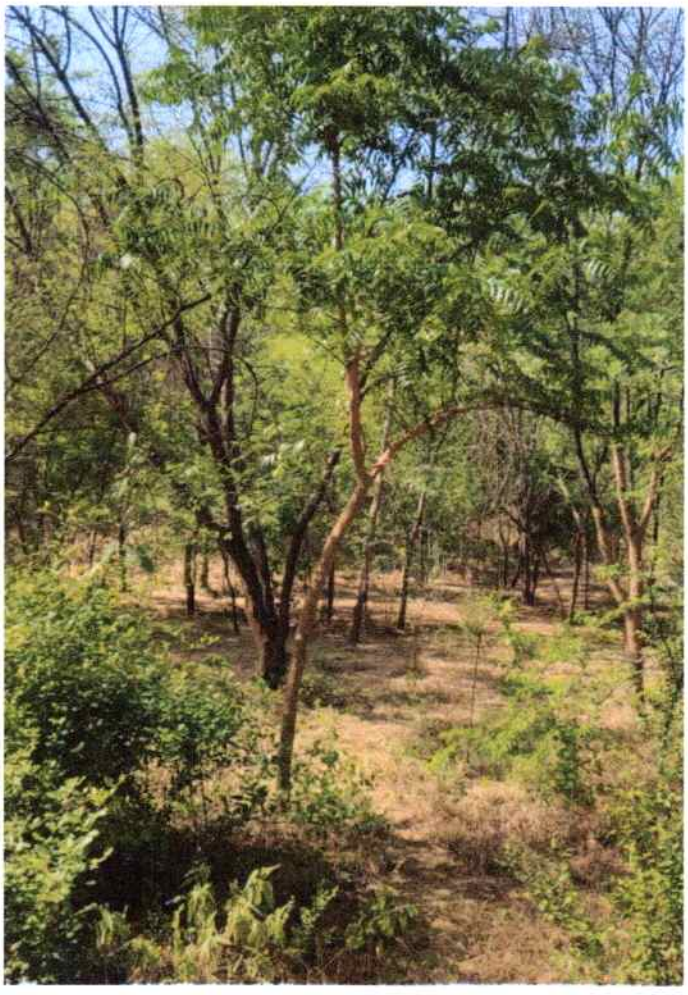

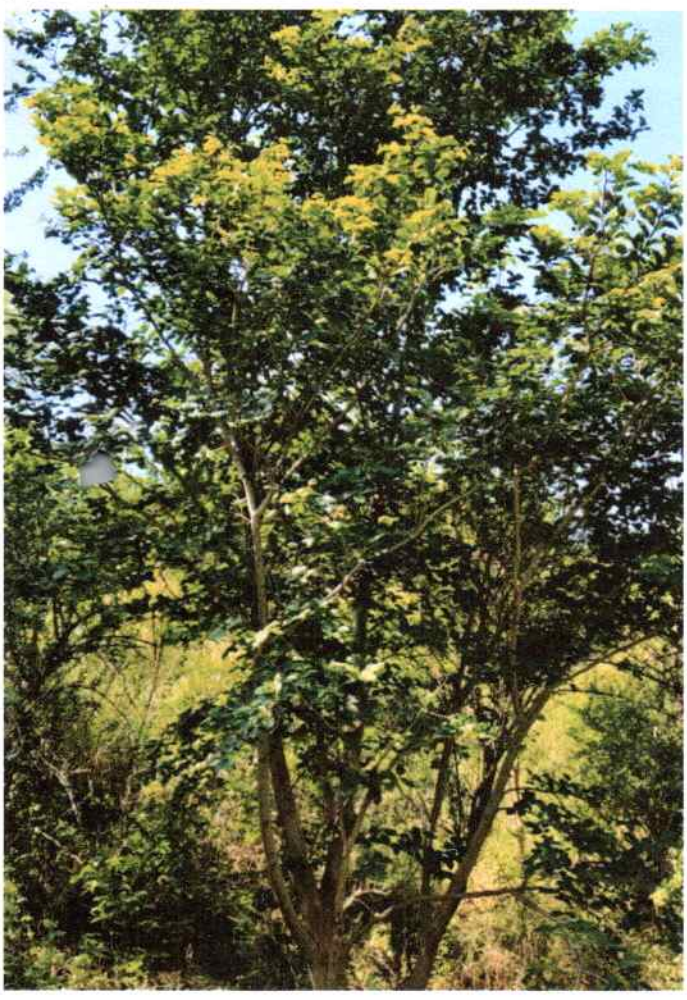

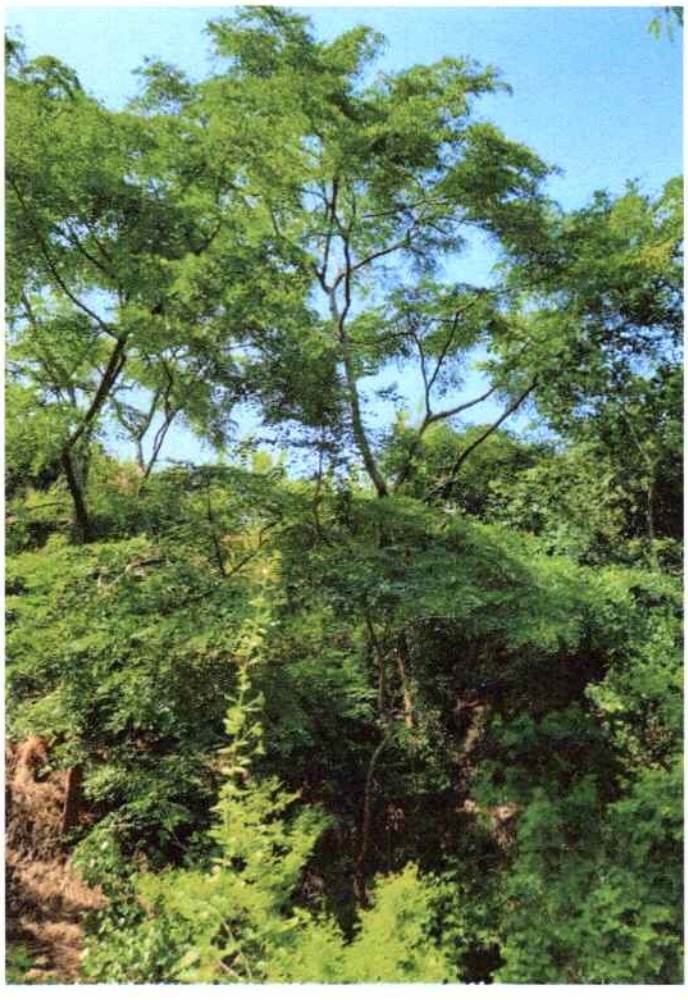

-181-